रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062026-273565
CG-DL-E-18062026-273565

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440]	नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2026/ज्येष्ठ 27, 1948
No. 440]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2026/JYAISTHA 27, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2026

सा. का. नि. 491(अ).—केंद्रीय सरकार, सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 42) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) नियम, 2022 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) नियम, 2022 में,-

(क) नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"7 क. रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय और उसका उपयोग का ढंग - सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक या बैंक के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस संबंधित समुचित प्राधिकारी के आधिकारिक पदनाम के नाम पर खोले गए बैंक खाते में जमा किया जाएगा और समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यकलापों के संबंध में उपयोग किया जाएगा।";

(ख) नियम 8 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"8 क. धारा 17 के अधीन क्लिनिक या बैंक के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन की शर्तें, प्ररूप और फीस - (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिकों द्वारा प्ररूप 1 में और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंकों द्वारा प्ररूप-2 में राष्ट्रीय रजिस्ट्री पोर्टल के माध्यम से समुचित प्राधिकारी को, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से साठ दिन पहले किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ अप्रतिदेय फीस होगी–

(i) स्तर 1 सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक के लिए पच्चीस हजार रुपए;

(ii) स्तर -2 सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक के लिए एक लाख रुपए;

(iii) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंक के लिए पच्चीस हजार रुपए।

(3) जहां किसी सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक या सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंक के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से पहले साठ दिन की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण की दशा में यथा लागू निम्नलिखित आवेदन फीस संदत्त करना अपेक्षित होगा, अर्थात्: -

(i) स्तर 1 सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के लिए पचास हजार रुपए;

(ii) स्तर-2 सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक के लिए दो लाख रुपए; तथा

(iii) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंक के लिए पचास हजार रुपये:

परंतु कि सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में स्थापना के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है।

(4) राष्ट्रीय रजिस्ट्री पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, क्लिनिक या बैंक की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित भरे हुए आवेदन पत्र का एक पीडीएफ प्रिंटआउट संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और नवीकरण के लिए आवेदन पर तभी विचार किया जाएगा, जिस तारीख को विहित फीस के साथ आवेदन की पीडीएफ प्रति, समुचित प्राधिकारी को प्राप्त हो जाएगी।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए फीस संबंधित समुचित प्राधिकारी के आधिकारिक पदनाम के नाम पर खोले गए बैंक खाते में जमा की जाएगी और अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन से जुड़े कार्यकलापों के संबंध में समुचित प्राधिकारी द्वारा उपयोग किया जाएगा।

(6) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, समुचित प्राधिकारी साठ दिन की अवधि के भीतर, -

(क) निरीक्षण करने और स्वयं का समाधान करने के पश्चात् कि आवेदक ने अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्ररूप 3 में यथाविनिर्दिष्ट क्लिनिक या बैंक के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण करें; या

(ख) अभिलिखित कारणों के लिए ऐसे आवेदन को अस्वीकार करें, यदि वह आवेदन अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अनुरूप नहीं है:

परंतु कि रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए कोई भी आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

(7) यदि किसी सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक या बैंक के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए कोई आवेदन समुचित प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आवेदक द्वारा उसी क्लिनिक या बैंक के लिए नवीकरण आवेदन को पुन: प्रस्तुत करने पर कोई फीस संदत्त करना अपेक्षित नहीं होगा, यदि यह यथास्थिति, अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करता है।

(8) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण या ऐसे नवीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में सूचना राज्य बोर्ड को दी जाएगी।

(9) रजिस्ट्रीकरण का नवीकृत प्रमाण पत्र सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक या बैंक द्वारा अपने व्यवसाय के स्थान पर सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(10) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण पूर्व में दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

[फा.स. यू. 11019/14/2022-एचआर]

ऋचा खोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) नियम, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 419 (अ), तारीख 7 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 771 (अ), तारीख 10 अक्तूबर, 2022, सा. का. नि. 126 (अ), तारीख 24 फरवरी, 2023 और सा. का. नि. 493 (अ) तारीख 11 जुलाई, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health Research)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2026

G.S.R.491(E).—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 (42 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Rules, 2022, namely:-

1. (1) These rules may be called the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Rules, 2022,-

(a) after rule 7, the following rule shall be inserted, namely:-

“7A. Mode of payment of registration fee and its utilisation.-The fee for registration of assisted reproductive technology clinic or bank shall be deposited in a bank account opened in the name of the official designation of the appropriate authority concerned and shall be utilised by the appropriate authority in connection with the activities connected with implementation of the provisions of the Act and rules made thereunder.”;

(b) after rule 8, the following rule shall be inserted, namely:-

“8A. The conditions, form and fee for application of renewal of certificate of registration of clinic or bank under section 17.-(1) An application for renewal of a certificate of registration shall be made by the assisted reproductive technology clinics in Form 1 and by the Assisted reproductive technology banks in Form-2 to the appropriate authority through the National Registry portal, sixty days before the date of expiry of such certificate of registration.

(2) Every application for renewal of registration under sub-rule (1) shall be accompanied with a non-refundable fee of –

(i) twenty-five thousand rupees for Level 1 assisted reproductive technology clinic;

(ii) one lakh rupees for Level 2 assisted reproductive technology clinic;

(iii) twenty-five thousand rupees for assisted reproductive technology bank.

(3) Where an application for renewal of registration of any assisted reproductive technology clinic or assisted reproductive technology bank is not received within a period of sixty days before the date of expiry of its certificate of registration, the following application fees as applicable in case of initial registration shall be required to be paid namely:-

(i) fifty thousand rupees for Level 1 assisted reproductive technology clinic;

(ii) two lakh rupees for Level 2 assisted reproductive technology clinic; and

(iii) fifty thousand rupees for assisted reproductive technology bank:

Provided that establishments in the Government-run institutes need not pay any fee for the renewal of certificate of registration.

(4) After submission of the online application for renewal of certificate of registration on the National Registry portal, a PDF printout of the filled-in application form, duly signed by the authorised signatory on behalf of the clinic or bank, shall be submitted to the appropriate authority of the respective State Government or Union territory Administration and the application for renewal shall be considered only from the date the prescribed fee, along with the PDF copy of the application, is received by the appropriate authority.

(5) The fee for renewal of certificate of registration shall be deposited in a bank account opened in the name of the official designation of the appropriate authority concerned and shall be utilised by the appropriate authority in connection with the activities connected with implementation of the provisions of the Act and rules made thereunder.

(6) On receipt of the application for renewal of certificate of registration, the appropriate authority shall, within a period of sixty days,-

(a) after inspection and satisfying itself that the applicant has complied with all the requirements prescribed under the Act and rules made thereunder, renew the certificate of registration of the clinic or bank as specified in Form 3, subject to the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder; or

(b) reject such application for reasons to be recorded in writing, if that application does not conform to the provisions of the Act or the rules or regulations made thereunder:

Provided that no application for renewal of registration shall be rejected without giving an opportunity of being heard to the applicant.

(7) If an application for renewal of registration of any assisted reproductive technology clinic or bank is rejected by the appropriate authority, no fee shall be required to be paid on re-submission of the renewal application by the applicant for the same clinic or bank, if it complies with the provisions of the Act, or the rules or regulations made thereunder, as the case may be.

(8) The intimation with regard to renewal of certificate of registration or rejection of application for such renewal shall be made to the State Board.

(9) The renewed certificate of registration shall be displayed by the assisted reproductive technology clinic or bank at a conspicuous place at its place of business.

(10) The renewal of certificate of registration shall be valid for a further period of five years from the date of expiry of the certificate of registration earlier granted.".

[F. No. U.11019/14/2022-HR]

RICHA KHODA, Jt. Secy.

Note: The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Rules, 2022 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 419(E), dated the 7th June, 2022 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R. 771(E), dated the 10th October, 2022, G.S.R. 126(E), dated the 24th February, 2023 and G.S.R. 493 (E), dated the 11th July, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.06.18 15:06:11 +05'30'